राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 44/2021

कैलाश चन्द्र त्रिवेदी —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया है। इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किए है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 17.11.1987 को हुई थी तथा इसके पश्चात् अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नति भी प्रदान की गई, जो आदेश दिनांक 20.11.1987 के द्वारा प्रदान की गई। तत्पश्चात् अपीलार्थी लोक सेवा आयोग की अभिशंषा के आधार पर अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर दिनांक 08.12.1990 को नियुक्त किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को तृतीय एसीपी का लाभ दिनांक 08.12.2017 से दिया जाना चाहिए था, क्यूंकि अपीलार्थी दिनांक 08.12.1987 से व्याख्याता के पद पर कार्यरत है और इसी आधार पर इसकी पेंशन भी संशोधित की जानी चाहिए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.10.2019 पारित कर यह गलत रूप से आदेश दिये है कि अपीलार्थी की व्याख्याता के पद पर नियुक्ति दिनांक 08.12.1990 से हुई थी और अपीलार्थी दिनांक 30.06.2018 को सेवानिवृत्त हो गया था, ऐसे में अपीलार्थी को 30 वर्ष के एसीपी का लाभ देय नहीं है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति आरपीएससी की अनुशंषा के आधार पर वर्ष 1990 में की गई। उसके पूर्व की अपीलार्थी की नियुक्ति तदर्थ रूप से थी, जिसे एसीपी के लाभ के लिए नहीं जोडा जा सकता है। ऐसे में अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि पूर्व में अपीलार्थी को द्वितीय एसीपी का लाभ जो मिला है, वह प्रथम नियुक्ति की दिनांक 08.12.1990 मानते हुए दिया गया है, जिसका आदेश दिनांक

`

16.09.2011 पत्रावली में अनुलग्नक 7 के रूप में प्रस्तुत है । ऐसे में अपीलार्थी को पूर्व से ही एसीपी का लाभ नियमित नियुक्ति की तिथि 08.12.1990 मानते हुए दिया जा रहा है, जिसे पूर्व में अपीलार्थी ने कभी भी चुनौती नहीं दी थी।

3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। इस प्रकरण में अपीलार्थी की जो प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 09.11.1987 (अनुलग्नक–2) के द्वारा हुई थी, उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई रूप से की गई थी। नियुक्ति आदेश में यह अंकित है कि सीधी भर्ती से उपलब्ध रिक्तियों के पद पर उन्हें नियुक्ति दी गई है। अपीलार्थी को जो तदर्थ रूप से पदोन्नति प्रदान की गई थी। वह भी अस्थाई रूप से प्रदान की गई थी। उस आदेश में भी लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक अपीलार्थी को नियुक्त किए जाने का इंद्राज है। यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंषा करने पर वर्ष 1990 में हुई थी ऐसे में स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने नियमित नियुक्ति से पहले जो सेवाएं दी थी, वे पूर्णतः तदर्थ रूप से थी। पूर्व में द्वितीय एसीपी का लाभ दिया गया था वह अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक 08.12.1990 मानते हुए दिया गया था, जिसका आदेश दिनांक 16.09.2011 (अनुलग्नक–7) के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलार्थी को पूर्व से ही चयनित वेतनमान का लाभ उसकी प्रथम नियुक्ति की तिथि 08.12.1990 मानते हुए ही प्रदान किया गया है। अपीलार्थी तृतीय एसीपी का लाभ दिए जाने के संबंध में अपनी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 08.12.1990 के स्थान पर दिनांक 10.12.1987 से मानते हुए दिए जाने की प्रार्थना कर रहा है, जबकि अपीलार्थी ने पूर्व के आदेश दिनांक 16.09.2011 को कभी भी चुनौती नहीं दी। अपीलार्थी ने दिनांक 16.09.2011 के आदेश पारित होने के पश्चात् अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वर्ष 2021 में यह अपील प्रस्तुत की है, जबकि पूर्व में भी प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 08.12.1990 मानते हुए आ रहा है। अपीलार्थी ने पूर्व में कभी भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 08.12.1990 से उसकी सेवा की गणना की जाकर एसीपी का लाभ दिए जाने के आदेशों को चुनौती नहीं दी और अपने पूरे सेवा काल में अपनी प्रथम नियुक्ति की दिनांक 08.12.1990 ही स्वीकार की है। सेवानिवृत्ति के पश्चात् अब विलम्ब से अपील किया जाना उचित नहीं है। इसके अलावा यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी अपनी तदर्थ सेवाएं अपने सेवाकाल में जुडवाकर एसीपी का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

4. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह अपील बलहीन होने से खारिज की जाती है।

5. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)